निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

# निर्वाचन साक्षरता क्लब

## संदर्भ मार्गदर्शिका

## कक्षा 9 के लिए

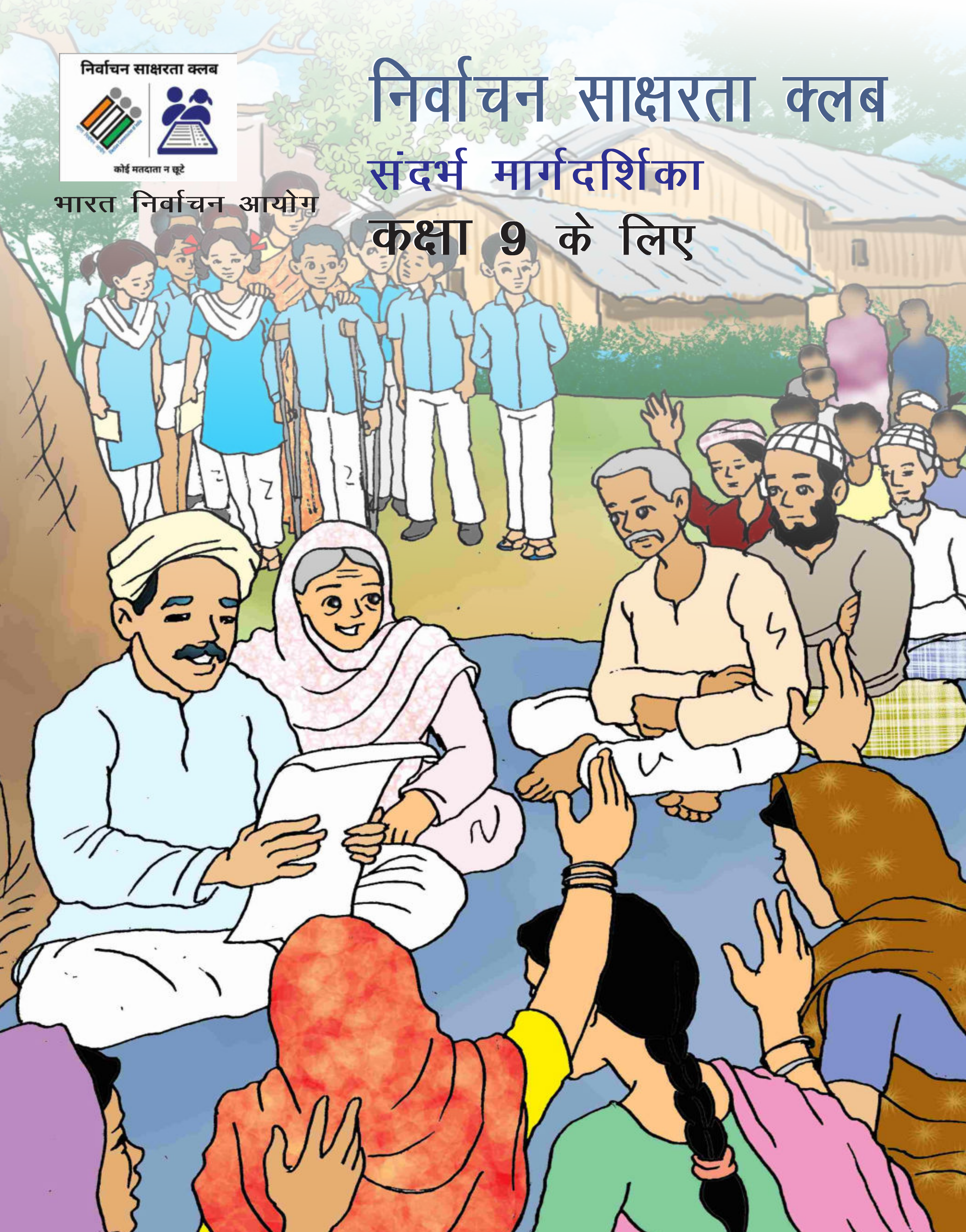

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

# निर्वाचन साक्षरता क्लब

## संदर्भ मार्गदर्शिका

## कक्षा 9 के लिए

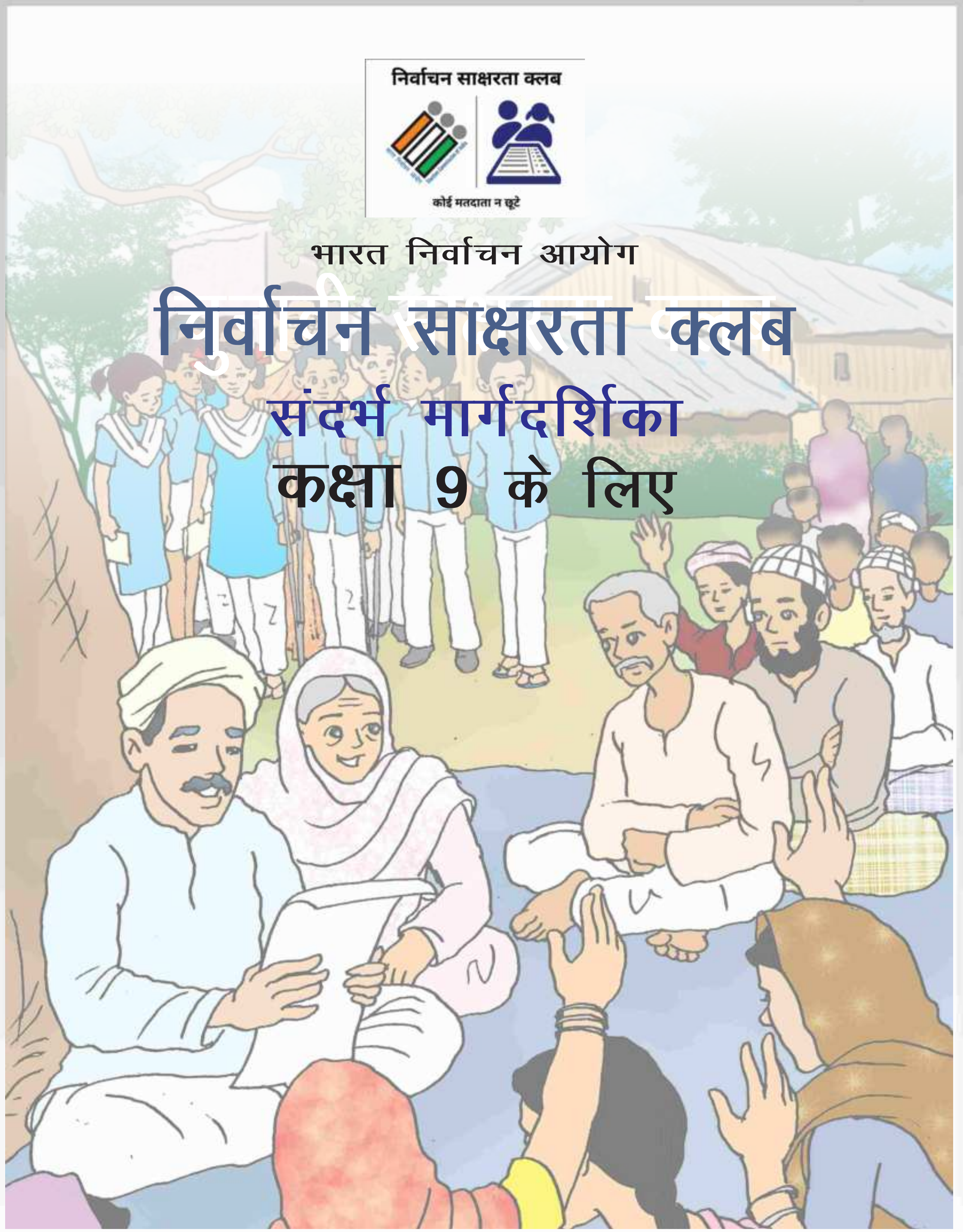

# प्रस्तावना

इस संदर्भ मार्गदर्शिका में निर्वाचन साक्षरता क्लब के कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए संचालित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग 14–15 वर्ष के विद्यार्थियों को निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित जो संदेश देना चाहता है, उसे ध्यान में रखते हुए ये गतिविधियाँ बहुत सावधानीपूर्वक बनाई गई हैं। इस संदर्भ मार्गदर्शिका में गतिविधियों के सम्पादन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इसलिए यह मार्गदर्शिका निर्वाचन साक्षरता क्लब के संयोजक के लिए निर्देश पुस्तिका या मैनुअल के रूप में कारगर सिद्ध होगी।

क्लब संयोजक और नोडल अधिकारी इस संदर्भ मार्गदर्शिका में दी गई सभी या अधिक से अधिक गतिविधियाँ संचालित करेंगे। वे इन गतिविधियों को इस तरह से संचालित करेंगे कि विद्यार्थी उनके माध्यम से दिए गए संदेशों को ग्रहण कर सकें। फिर भी, इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि अपने शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक कक्षा 9 के विद्यार्थी इन गतिविधियों से इतना तो सीख ही सकें–

1. विद्यार्थियों को प्रतिनिधिक लोकतंत्र, चुनाव व मतदान की अवधारणा को जानना चाहिए तथा वोट के मूल्य को समझना चाहिए।
2. विद्यार्थियों को भारत में मतदाता बनने की पात्रता को जानना चाहिए।
3. विद्यार्थियों को पंजीकरण की प्रक्रिया (फॉर्म 6, आवश्यक अभिलेख, ऑनलाइन पंजीकरण का तरीका) से परिचित होना चाहिए।
4. विद्यार्थियों को बूथ लेवल ऑफीसर (बी.एल.ओ.) की भूमिका को जानना चाहिए, जो मतदाता से सम्पर्क के पहले सिरे हैं तथा उसका पंजीकरण के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं।
5. विद्यार्थियों को मतदान केन्द्र के अन्दर के परिदृश्य से सामान्य तौर पर परिचित हो जाना चाहिए।

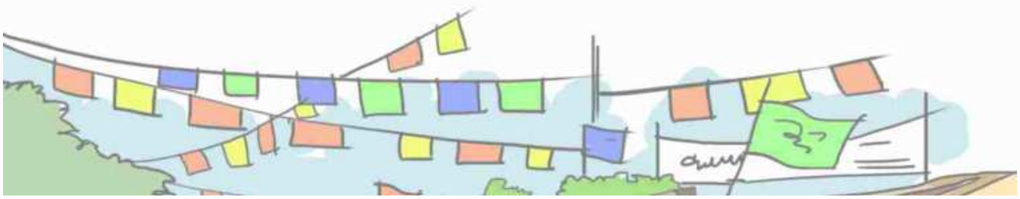

# विषय सूची


1. परिचय ........ 05
2. उद्देश्य ........ 05
3. स्वरूप ........ 06
4. सदस्य और कार्यकारिणी समिति ........ 06
5. नोडल अधिकारी और उनके दायित्व ........ 06
6. संयोजक ........ 07
7. आयोजन-स्थल ........ 07
8. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सत्र ........ 07
9. गतिविधियों का प्रस्तावित क्रम ........ 07
10. गतिविधियाँ ........ 08
11. सत्रों का स्वरूप ........ 08
12. दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेष ........ 09
13. निर्देशों सहित गतिविधियाँ ........ 10
    - i) चुनाव पत्रिका ........ 11
    - ii) निर्वाचित्र–फिल्म प्रदर्शन ........ 14
    - iii) पंजीकरण और मतदान पर कार्ड का खेल– जागरूक मतदाता ........ 17
    - iv) ग्राम पंचायत/ग्राम सभा/स्थानीय निकाय का भ्रमण ........ 18
    - v) राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए गतिविधि– विद्यालय में नाटक ........ 21
14. गतिविधियों के लिए संसाधन ........ 23
15. संक्षिप्त नाम और शब्दावली ........ 31



Published in 2018 by the Election Commission of India
Nirvahcan Sadan, Ashoka Road, New Delhi, 110001
Re Print- 2019



*Text, Photographs and Illustrations Copyright © Election Commission of India*

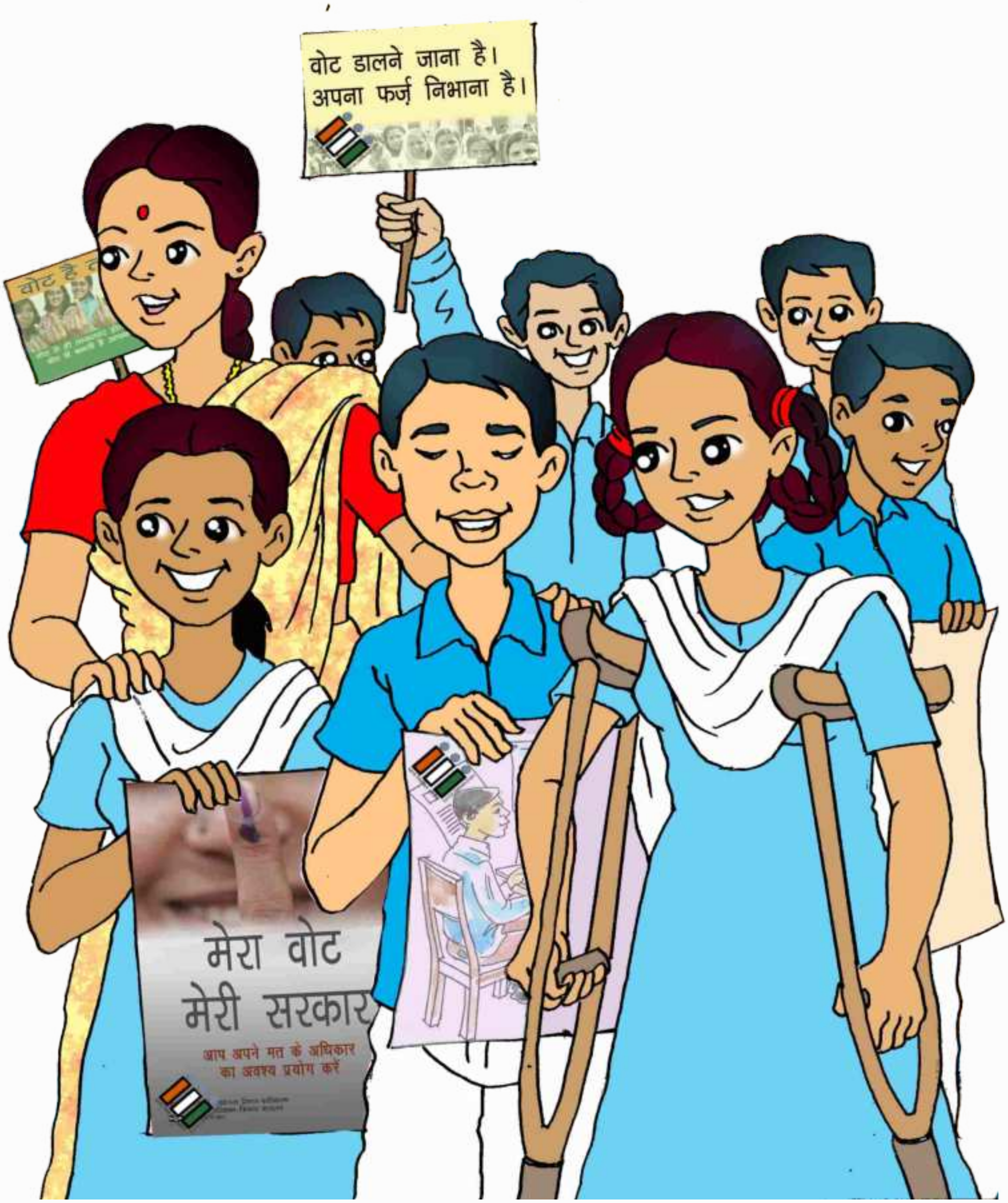

वोट डालने जाना है।
अपना फर्ज़ निभाना है।
मेरा वोट
मेरी सरकार
आप अपने मत के अधिकार
का अवश्य प्रयोग करें

## 1. परिचय

हमारे देश में निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब बनाए जा रहे हैं। यह क्लब हर उम्र के भारतीय नागरिकों को रोचक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से निर्वाचन साक्षरता देने का काम करेंगे। साक्षरता देने का तरीका ऐसा होगा कि लोग व्यावहारिक रूप से अनुभव प्राप्त कर सकें। यह सारा काम गैर राजनीतिक तरीके से तटस्थ रहकर किया जाएगा।

निर्वाचन साक्षरता क्लब देश भर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष रूप से बनाए जा रहे हैं। इनका लक्ष्य 14–17 वर्ष के भावी मतदाता हैं, जो 9 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। इन्हें निर्वाचन साक्षरता क्लब– भविष्य के मतदाता कहा जाएगा।

कक्षा 9, 10, 11 व 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी क्लब के सदस्य होंगे। नीचे के खण्डों में विस्तार से बताया गया है कि निर्वाचन साक्षरता क्लब कैसे बनाए जाएँगे, इसके प्रतिभागी और संयोजक कौन होंगे, ये कहाँ और कैसे संचालित किए जाएँगे और इनमें कौन सी गतिविधियाँ संचालित होंगी।

## 2. उद्देश्य

निर्वाचन साक्षरता क्लब के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

I. लक्ष्य–समूह को मतदाता पंजीकरण, चुनावी प्रक्रिया और अन्य सम्बन्धित बातों के बारे में व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से शिक्षित करना;

ii. प्रतिभागियों को ई.वी.एम. और वी.वी.पैट. से परिचित कराना और उन्हें ई.वी.एम.की मजबूती और ई.वी.एम. का प्रयोग करके सम्पन्न होने वाली चुनावी प्रक्रिया की प्रामाणिकता के बारे में बताना;

iii. अपने वोट का महत्त्व समझने में लक्ष्य–समूह की मदद करना, साथ ही, वे अपने मताधिकार का प्रयोग पूरे विश्वास के साथ, सुविधाजनक तरीके से तथा नैतिकता के साथ कर सकें, इसमें उनकी सहायता करना;

iv. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य समुदाय में निर्वाचन साक्षरता का प्रसार कर सकें, इसके लिए उनकी क्षमता–वृद्धि करना;

v. जो सदस्य 18 वर्ष की आयु के हो जाएँ, उन्हें मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने में मदद करना;

vi. चुनावों में भागीदारी करने और सोच–समझकर व नैतिकता के साथ वोट देने की संस्कृति विकसित करना, साथ ही, इस सिद्धान्त का पालन करने पर जोर देना कि **'हर वोट महत्त्वपूर्ण है'** तथा **'कोई मतदाता न छूटे'**।

## 3. स्वरूप

निर्वाचन साक्षरता क्लब हर कक्षा व वर्ग (सेक्शन) के लिए होगा। यद्यपि हर विद्यालय–श्रेणी के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब भिन्न होंगे, और गतिविधियों का जो संग्रह होगा, वह खास तौर पर उस श्रेणी विशेष के लिए ही होगा, पर हर श्रेणी के विभिन्न वर्गों के लिए गतिविधियाँ एक जैसी होंगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब एक निश्चित कक्षा/सत्र में कक्षावार गतिविधियाँ संचालित करेगा। कक्षा के सभी विद्यार्थी निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य होंगे।

## 4. सदस्य और कार्यकारिणी समिति

विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे निर्वाचन साक्षरता क्लब को कार्यकारिणी समिति के एक निर्वाचित समूह के माध्यम से चलाएँ, जिसमें हर वर्ग (सेक्शन) के चुने हुए प्रतिनिधि हों। इन चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व होगा– निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों का आयोजन करना। वे विद्यालय के नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन और देखरेख में व उनकी सलाह से ही काम करेंगे।

विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षकों के माध्यम से भी गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं, जो कक्षा के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करेंगे।

## 5. नोडल अधिकारी और उनके दायित्व

विद्यालय के मानविकी विभाग के एक या दो शिक्षक निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे सम्बन्धित निर्वाचन साक्षरता क्लब के मार्गदर्शी के रूप में भी कार्य करेंगे। चुनावी दायित्व निभाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को इस कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उनके मुख्य दायित्व होंगे–

i. जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था बनाई है, उससे समन्वयन करना। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए निर्वाचन साक्षरता के संसाधन ऑनलाइन या किसी अन्य तरीके से उपलब्ध कराए जाएँगे।

ii. विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करने वाले शिक्षकों के लिए निर्दिष्ट संसाधनों/उपकरणों/साधनों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

iii. निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करने के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन करना।

iv. चुनावी साक्षरता से सम्बन्धित संसाधनों का भावी मतदाताओं के कौशल विकास हेतु व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से उपयोग करवाना।

v. विद्यालय के चुनावों को निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधि के अनुसार मार्गदर्शन देना।

vi. नए संसाधनों का निर्माण करने का प्रयास करना और तैयार करके उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना।

vii. विद्यार्थियों/कार्यकारिणी समिति की सलाह से गतिविधियों का वार्षिक कैलेण्डर बनाना।

viii. कक्षा 12 के विद्यार्थियों के नामांकन की व्यवस्था करना, जब वे पात्र हो जाएँ।

*नोट–* ***नोडल अधिकारी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को निर्वाचन साक्षरता क्लब के कार्यकलापों में शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।***

## 6. संयोजक

हर कक्षा के लिए एक शिक्षक नियत होगा, जो निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करेगा। विकल्प के रूप में, शिक्षकों का एक समूह भी हो सकता है, जो विभिन्न कक्षाओं के निर्वाचन साक्षरता क्लबों की गतिविधियाँ संचालित करें। शिक्षकों का प्रशिक्षण नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों को संचालित करने में नोडल अधिकारी ही शिक्षकों का मार्गदर्शन करेंगे। महिला और पुरुष संयोजकों के बीच समुचित संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।

## 7. आयोजन–स्थल

निर्वाचन साक्षरता क्लब की अधिकांश गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कक्षा का कक्ष ही आयोजन–स्थल होगा। पर कुछ गतिविधियाँ विद्यालय के सभागार (ऑडिटोरियम) या विद्यालय के खेल के मैदान में आयोजित की जा सकती हैं।

## 8. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सत्र

क्लब में गतिविधि आधारित सत्र होंगे और कुछ गतिविधियाँ एक से अधिक निर्वाचन साक्षरता क्लबों के लिए एक साथ आयोजित की जाएँगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब के विभिन्न स्तरों के लिए अलग–अलग गतिविधियाँ होंगी, और, इस कारण, उनके लिए एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित किए गए घंटे/ सत्र कुल 6 से 8 घंटे तक के होंगे।

## 9. गतिविधियों का प्रस्तावित क्रम

निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों के लिए नीचे एक प्रस्तावित क्रम दिया गया है–

| माह | गतिविधि | अवधि |
|---|---|---|
| पूरे वर्ष | चुनाव पत्रिका | पत्रिका के प्रारूप पर कक्षा में 60 मिनट की चर्चा |
| अप्रैल | निर्वाचित्र–फिल्म शो | 45 मिनट |
| मई | जागरूक मतदाता– कार्ड खेल | 45 मिनट |
| नवम्बर | ग्राम पंचायत की यात्रा | क्षेत्र-भ्रमण के लिए आधा दिन। भ्रमण के बाद की गतिविधि के लिए 45 मिनट (उसी दिन या दूसरे दिन) |
| दिसम्बर | विद्यालय में नाटक | **तैयारी** 30 मिनट कक्षा में चर्चा व अभ्यास (विद्यालय के वार्षिकोत्सव में या राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रस्तुतीकरण) |
| कुल | | लगभग 3 घंटे 45 मिनट + क्षेत्र-भ्रमण |

## 10. गतिविधियाँ

कक्षा 9 के लिए इस निर्वाचन साक्षरता मार्गदर्शिका में 6 गतिविधियों और उन्हें संचालित करने के तरीकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनमें से दीवार पत्रिका गतिविधि निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा हर महीने की जाएगी। सभी गतिविधियों को आयोजित करना आवश्यक नहीं है। समय की उपलब्धता के आधार पर गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है।

## 11. सत्रों का स्वरूप

हर एक निर्वाचन साक्षरता क्लब सत्र के नीचे दिए गए स्वरूप को अपनाएगा–

**सभा (असेम्बली)**– निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य जब अपने कार्यक्रम–स्थल पर इकट्ठे होंगे, तो एक–दूसरे का स्वागत/अभिवादन करेंगे। इसके बाद संयोजक 5–10 मिनट में पिछले सत्र में सीखी गई बातों और अनुभवों को दोहराएँगे।

**<u>गतिविधि का संचालन</u>**– संयोजक सत्र के लिए निश्चित की गई गतिविधि को संचालित करेंगे। उन्हें इसके लिए तैयार होकर आना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र समय से समाप्त हो जाए।

सभी गतिविधियों में फिर से याद दिलाने की 3–2–1 की उस विधि को अपनाना चाहिए, जिसकी व्यक्तिगत गतिविधि विवरणों में व्याख्या की गई है।

**<u>3–2–1 के आधार पर सारांश बताना और फिर से याद दिलाना</u>**– सभी गतिविधियों के अंत में सारांश करने और फिर से याद दिलाने का यह तरीका अपनाना चाहिए। संयोजक चुनावी साक्षरता क्लब के विभिन्न सदस्यों से निम्नलिखित बातें पूछेंगे–

- 3 ऐसी बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
- 2 ऐसी बातें, जो वे याद रखेंगे।
- 1 ऐसी बात, जिसके बारे में वे और अधिक जानना चाहते हैं। (यहाँ विद्यार्थी गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

## 12. दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेश

निर्वाचन साक्षरता क्लब समावेशी क्लब होगा, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कोशिश की जाएगी।

- संयोजक उनकी भागीदारी बढ़ाने और उनके प्रति क्लब के सदस्यों को संवेदनशील बनाने की कोशिश करेंगे।
- यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ ऐसे स्थान पर हों, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके।
- अगर कोई ऐसा विद्यार्थी बैठक में शामिल हो रहा है, जो सुन नहीं सकता, तो उसकी सुविधा के लिए इशारों की भाषा समझने वाले दुभाषिये का इन्तजाम करना चाहिए। (यह दुभाषिया विद्यार्थी का कोई साथी हो सकता है, जो उसके लिए पहले से यह काम कर रहा हो।)
- क्लब की किसी भी गतिविधि में दिव्यांग विद्यार्थियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

# 13. गतिविधियाँ (निर्देशों सहित)

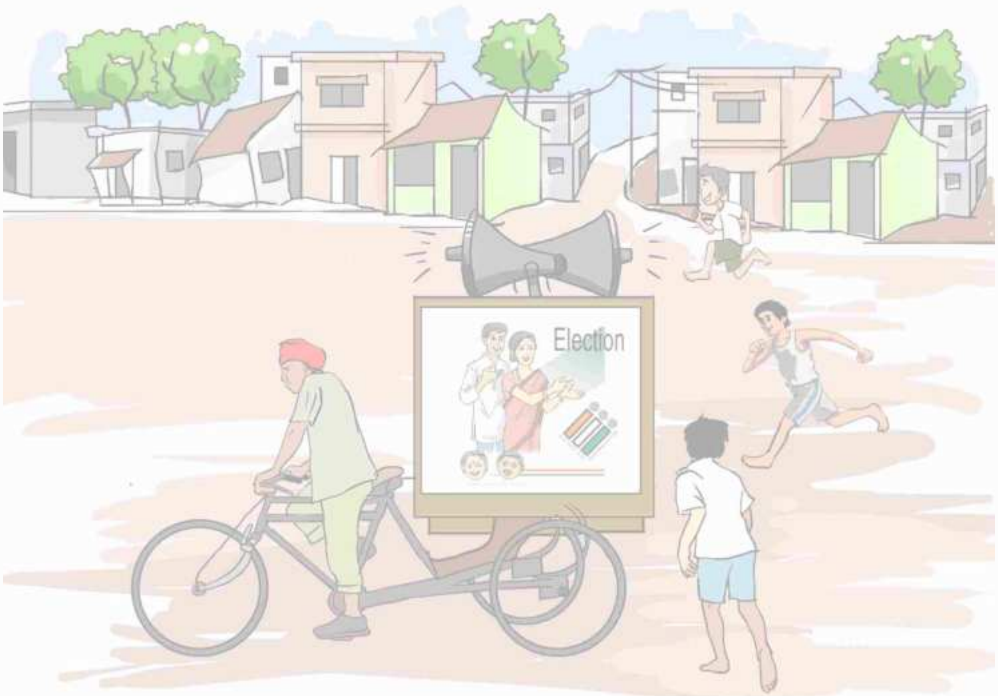

# गतिविधि : चुनाव पत्रिका

## रूपरेखा

चुनाव पत्रिका के पीछे विचार यह है कि निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित सूचनाओं और संदेशों को मनोरंजक, कल्पनाशील और रोचक ढंग से प्रस्तुत करके लोगों तक पहुँचाया जाए। साथ ही, इसे तैयार करने में सभी विद्यार्थियों को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

इस काम के लिए विद्यालय के किसी मुख्य हिस्से की दीवार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे **'निर्वाचन साक्षरता दीवार'** कहा जाएगा। दीवार पर निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित विभिन्न विषय-सामग्री प्रदर्शित की जाएँगी। यह सामग्री दीवार पर चिपकाई जा सकती है या पिन की मदद से लगाई जा सकती है या, अगर इजाजत मिले तो, रंगों से लिखी भी जा सकती है।

विद्यालय प्रशासन विद्यालय के गलियारे/बरामदे में कोई दीवार या डिस्प्ले बोर्ड दीवार पत्रिका के लिए आवंटित करेगा। दीवार पत्रिका का थीम/मुख्य विषय हर महीने बदल जाएगा।

## संसाधन

चुनाव पत्रिका का नमूना (पृष्ठ 24–25 पर)

## विधि

1. कक्षा 9 के विभिन्न वर्ग हर महीने बारी–बारी से चुनाव पत्रिका बनाएँगे। उदाहरण के लिए, पहले महीने की चुनाव पत्रिका सेक्शन 'ए' बनाएगा, दूसरे महीने की सेक्शन 'बी' बनाएगा, और इसी तरह आगे की चुनाव पत्रिकाएँ अलग–अलग सेक्शन बनाएँगे। पहले वर्ग का एक प्रतिनिधि अगले वर्ग को दीवार पत्रिका की जिम्मेदारी सौंपेगा।
2. चुनाव पत्रिका के लिए सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का योगदान लिया जाएगा। यह योगदान लेखों, कविताओं, चित्रों, पत्रों, वर्ग पहेलियों आदि के रूप में होगा। इस पत्रिका में निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा इस महीने में आयोजित की जाने वाली मुख्य गतिविधियों से सम्बन्धित जरूरी घोषणाएँ भी शामिल होंगी।
3. चुनाव पत्रिका का थीम/मुख्य विषय हर महीने बदल जाएगा। पत्रिका की विषय–सामग्री इसी थीम/मुख्य विषय से सम्बन्धित होगी।
4. थीम/मुख्य विषय के अन्तर्गत आने वाली विषय–सामग्री हर सप्ताह या हर पन्द्रह दिन में बदल जाएगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विद्यार्थीयों से चुनाव पत्रिका के लिए कितनी रचनाएँ मिलती हैं।
5. विद्यार्थी चुनाव पत्रिका के लिए विषय–सामग्री तैयार करने में बड़ी कक्षाओं की मदद भी ले सकते हैं।
6. दीवार को चार मुख्य भागों में बाँटा जाएगा।

| विषय | |
|---|---|
| **भाग 1**<br>इस भाग में चुनाव सम्बन्धी शब्दावली (अर्थ सहित) और थीम/मुख्य विषय से सम्बन्धित मुख्य निर्देश लिखे जाएँगे। निर्देश 2–3 हो सकते हैं, पर वे छोटे होने चाहिए और थीम/मुख्य विषय पर महत्त्वपूर्ण विवरण/सूचनाओं से ही सम्बन्धित होने चाहिए। | **भाग 2**<br>इस भाग में वर्तमान थीम/ मुख्य विषय पर रचनाओं को स्थान दिया जाएगा। ये रचनाएँ चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर आधारित होंगी। ये रचनाएँ विद्यार्थियों की स्वयं की होंगी और दृष्टान्त रूप में प्रस्तुत की जाएँगी। विकल्प के रूप में, इस भाग में थीम/मुख्य विषय से सम्बन्धित चुनाव की कहानियाँ भी दी जा सकती हैं, जो 'बिलीफ इन द बैलट' से ली जा सकती हैं। |
| **भाग 3**<br>इस भाग में चुनाव पत्रिका पढ़ने वालों से थीम/मुख्य विषय से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर आमंत्रित किए जाएँगे, जैसे– 'क्या आप मतदाता हैं?' 'यदि नहीं, तो मतदाता बनने के लिए क्या करें ?' आदि। विद्यार्थी अपने उत्तर लिख सकें, इसके लिए इसी भाग में जगह दी जाएगी। इसके अलावा इस भाग का कुछ हिस्सा खाली छोड़ दिया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी अपनी टिप्पणियाँ या प्रश्न लिख सकें। | **भाग 4**<br>इस भाग में चुनावी साक्षरता क्लब द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य गतिविधियों के बारे में घोषणाएँ व विवरण दिए जाएँगे।<br>इस भाग का एक हिस्सा खाली छोड़ दिया जाएगा, ताकि देखने वाले वहाँ अपने प्रश्न लिख सकें। जिला सम्पर्क केन्द्र (निर्वाचन) का नम्बर इस तरह लिखा जाएगा कि उस पर खास तौर से सबका ध्यान जाए। |

## समय

चुनाव पत्रिका निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों द्वारा हर महीने के पहले सप्ताह के अन्दर तैयार कर ली जाएगी।

## पहली चुनाव पत्रिका

अगर विद्यालय में परिषदों के चुनाव होते हों, तो प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि पहली चुनाव पत्रिका इन्हीं के बारे में हो।

## चुनाव पत्रिका के लिए मुख्य विषय (थीम)

नीचे चुनाव पत्रिका के लिए मुख्य विषयों और सम्भावित उप विषयों की सूची दी गई है–

1. लोकतंत्र– लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार
2. मेरा वोट मेरा अधिकार है
   - वोट का मूल्य
3. समावेशी चुनाव : हर वोट का महत्त्व बराबर है
4. पंजीकृत होना
   - 18 वर्ष – पात्रता की उम्र
   - मतदाता सूची
5. मतदाता कार्ड / मेरा इपिक – ई.पी.आई.सी. (निर्वाचक फोटो पहचान प्त्र)
6. चुनाव कौन लड़ सकता है ?
   - पात्रता
   - उम्मीदवार बनने के विभिन्न चरण
7. सोच–समझकर व नैतिकता के साथ मतदान
   - चुनाव प्रचार अभियान में क्या करें, क्या न करें
   - आदर्श आचार संहिता; उम्मीदवार के कदाचार की शिकायत कहाँ करें ?
8. ई.वी.एम. ( इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ) और वी.वी.पैट. ( वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल )
   - वोट की गोपनीयता
   - ई.वी.एम. / वी.वी.पैट के माध्यम से होने वाले चुनावों में चुनाव प्रकिया की प्रामाणिकता
9. नोटा (NOTA)
   - नोटा ( NOTA – इनमें से कोई नहीं) का इस्तेमाल कब करें
   - अपने उम्मीदवार के बारे में जरूरी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करना।
10. निर्वाचन आयोग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग / राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एन.वी.डी.)

चुनाव पत्रिका के अन्तर्गत कक्षा 9 के निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा विद्यालय प्रशासन और सम्बन्धित समितियों / क्लबों की सहायता से सम्बन्धित विषय पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं, जैसे– वाद–विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, गीत लेखन प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी (क्विज) प्रतियोगिता, कोलाज बनाने की प्रतियोगिता, लोकतंत्र के लिए दौड़, और खेल प्रतियोगिता।

# गतिविधि : निर्वाचित्र – फिल्म प्रदर्शन

## रूपरेखा

यह गतिविधि एक मनोरंजक फिल्म/स्टोरी स्क्रोल के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया और उसकी काय–प्रणाली के बारे में बताती है। इसके बाद इसमें सम्बन्धित विषय पर सूचनाओं के प्रसार के लिए पोस्टरों का प्रयोग किया जाता है।

## शिक्षण परिणाम (क्या सीखेंगे)

गतिविधि को पूरा करने के बाद विद्यार्थी–

i. जान सकेंगे कि मतदाता बनने की पात्रता की उम्र 18 वर्ष है।

ii. मतदाता के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे।

iii. वोट के मूल्य को समझ सकेंगे।

iv. बूथ लेवल ऑफीसर की भूमिका के बारे में जान सकेंगे, जो मतदाता से सम्पर्क करने का पहला सिरा है और उन्हें चुनाव–प्रक्रिया से अवगत कराता है।

## संसाधन

i. मस्ती दोस्ती मतदान (12 मिनट की ऐनीमेटेड लघु फिल्म)

ii. अभय और आभा (चित्रात्मक पुस्तक स्ओरी स्क्रोल)

iii. लोकतंत्र एक्सप्रेस (ऑडियो कहानी)

iv. पंजीकरण और मतदान पर फ्लिप चार्ट

**नोट** – अगर फिल्म दिखाना सम्भव नहीं है, तो वैकल्पिक संसाधन के रूप में चित्रात्मक पुस्तक, स्क्रोल, ऑडियो कहानी या फ्लिप चार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

## आवश्यक सामग्री

i. स्क्रीन, प्रोजेक्टर, लैपटॉप और स्पीकर

ii. हर विद्यार्थी के लिए नोट बुक और पेन

iii. चार्ट पेपर और बोल्ड मार्कर

**अवधि** : 45 मिनट

**समय** : अप्रैल का पहला सप्ताह

## विधि

1. फिल्म दिखाने/फ्लिप चार्ट का प्रदर्शन करने से पहले संयोजक विद्यार्थियों के बीच थोड़ी देर निर्वाचन और उनमें भागीदारी पर अनौपचारिक विचार–विमर्श कराएँगे। इसका उद्‌देश्य होगा– विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण के विषय से परिचित कराना। विचार–विमर्श के बीच संयोजक इस विषय पर विद्यार्थियों के ज्ञान/जानकारी को परखेंगे।

2. संयोजक यह पूछकर विचार–विमर्श शुरू कर सकते हैं कि –

   - भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं ?
   - क्या आप जानते हैं कि वे प्रधानमंत्री कैसे बने ?
   - लोकतंत्र क्या है ?
   - लोकतंत्र, शासन का इतना लोकप्रिय प्रकार क्यों है ?
   - लोकतंत्र में हर आवाज कैसे सुनी जाती है ? (चुने हुए प्रतिनिधि)
   - लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं ? (निर्वाचन)
   - हमारी आवाज सुनी जाए, इसके लिए कौन सा साधन काम में लिया जाता है? (वोट)
   - क्या आप समझते हैं कि चुनाव महत्त्वपूर्ण हैं ? आपका वोट महत्त्वपूर्ण क्यों है ?

3. अब संयोजक को 14–17 आयु–वर्ग के बारे में बात करनी चाहिए, जो भारत के भावी मतदाता हैं। संयोजक को इस बात पर खास ध्यान दिलाना चाहिए कि जब वे 18 वर्ष के हो जाएँ तो उनमें से हर एक के लिए मतदान करना कितना महत्त्वपूर्ण है।

4. इसके बाद संयोजक को निर्वाचन साक्षरता क्लब के विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि क्या वे मतदान के लिए तैयार हैं ?

5. संयोजक प्रश्न को अधूरा छोड़कर फिल्म दिखाना शुरू कर दें। जहाँ फिल्म दिखाना सम्भव नहो, वहाँ संयोजक फ्लिप चार्ट/चित्रात्मक पुस्तक दिखाएँगे या ऑडियो कहानी सुनाएँगे।

6. इसके बाद कक्षा एक वृहद् विचार–विमर्श में शामिल होगी, जो वोट के महत्त्व पर केन्द्रत होगा। विद्यार्थियों से कहा जाएगा कि वे अपने क्षेत्र में हुए चुनावों में से उस पहले चुनाव की यादें ताजा करें, जो उन्होंने देखा हो। भले ही इसमें उनके माता–पिता/अभिभावक/रिश्तेदार/पड़ोसियों ने भाग लिया हो या न लिया हो।

7. इसके बाद विद्यार्थियों को चार्ट पेपर और रंगीन पेन्सिलें दी जाएँगी। उनसे कहा जाएगा कि वे एक पोस्टर बनाएँ, जिसमें या तो यह दर्शाएँ कि फिल्म से कौन सी खास बातें उन्होंने ग्रहण की हैं, या उसमें चुनाव और मतदान के महत्त्व को बताएँ।

8. फिर संयोजक सभी पोस्टरों को इकट्ठा करेंगे और एक सुरक्षित जगह पर रख देंगे। पोस्टरों को बहुत संभालकर रखना चाहिए, क्योंकि ये पोस्टर भविष्य में निर्वाचन साक्षरता क्लब वाली जगह को सजाने के काम आएँगे, या राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विद्यालय में लगाई जाने वाली प्रदर्शनी में काम आएँगे।

9. **3–2–1 के आधार पर** पृष्ठ 9 पर दिए गए तरीके से गतिविधि का सारांश बताएँ और उसे फिर से याद दिलाएँ।

# गतिविधि : पंजीकरण और मतदान पर कार्ड का खेल– जागरूक मतदाता

## रूपरेखा

कार्ड का खेल खिलाड़ियों को निर्वाचक के रूप में नामांकन और चुनाव में मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताता है। कार्ड के एक सेट पर 2 से 6 तक खिलाड़ी खेल सकते हैं।

## शिक्षण परिणाम (क्या सीखेंगे)

गतिविधि के पूरा होने पर विद्यार्थी–

i. मतदाता बनने के लिए पात्रता क्या है, यह जान सकेंगे।

ii. मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे।

iii. मतदान केन्द्र के अन्दर के परिदृष्य से परिचित हो सकेंगे।

## संसाधन

कार्ड का खेल (कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार 4–5 सेट)

**अवधि**– 30 मिनट

**समय**– मई का पहला सप्ताह

## विधि

1. विद्यार्थी यह खेल बिना किसी की मदद या मार्गदर्शन के खेल सकते हैं।
2. खेलने के निर्देश खेल के साथ आते हैं, और यह खेल विद्यार्थियों द्वारा किसी भी समय खेला जा सकता है।
3. कक्षा को 4–5 समूहों में बाँटा जा सकता है, और हर समूह कार्ड के एक सेट का उपयोग कर सकता है।
4. खेल के बाद संयोजक पंजीकरण और मतदान के विभिन्न पहलुओं पर अनौपचारिक विचार–विमर्श करवा सकते हैं।
5. सदस्य इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या वे इनमें से कोई प्रक्रिया या पात्रता की शर्तें अपने विद्यालय की परिषदों के चुनावों (यदि विद्यालयों में आयोजित होते हों, तो) में शामिल कर सकते हैं।
6. सारांश करने और फिर से याद दिलाने के लिए **3–2–1 का तरीका** अपनाएँ। यह पृष्ठ 9 पर दिया गया है।

# गतिविधिः ग्राम सभा की यात्रा ग्राम पंचायत/ग्राम सभा/ स्थानीय निकाय का भ्रमण

## रूपरेखा

इस गतिविधि का उद्देश्य है कि विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश में ग्राम सभा की बैठक को देखकर प्रतिनिधिक लोकतंत्र का सीधे–सीधे अनुभव कर सकें। आशा की जाती है कि इससे विद्यार्थियों को चुनावों और मतदान के महत्त्व को समझने में मदद मिलेगी।

## शिक्षण परिणाम (क्या सीखेंगे)

गतिविधि को पूरा करने के बाद विद्यार्थी–

i. चुनावों (अपने प्रतिनिधियों को चुनने का माध्यम) के महत्त्व को समझ सकेंगे।

ii. ग्राम पंचायत/ग्राम सभा/स्थानीय निकाय की चुनाव प्रक्रिया को समझ सकेंगे।

iii. प्रतिनिधिक लोकतंत्र को कार्य करते हुए देखकर इसके बारे में जान सकेंगे।

## संसाधन

i. ग्राम पंचायत पर संदर्भ पत्र (पृष्ठ 26 पर)

ii. कॉमिक बनाने का प्रारूप (पृष्ठ 29 पर)

## आवश्यक सामग्री

i. नोटबुक और पेन

ii. फोटो खींचने के लिए कैमरा (वैकल्पिक)

iii. चार्ट पेपर और बोल्ड मार्कर

## तैयारी

I. विद्यालय को नजदीकी पंचायत से भ्रमण के लिए बात कर लेनी चाहिए। विकल्प के रूप में, किसी अन्य स्थानीय निकाय का भी भ्रमण कराया जा सकता है।

ii. विद्यालय को साथ जाने वाले शिक्षकों और आने–जाने के साधन का इन्तजाम पहले से ही कर लेना चाहिए।

**अवधि**– आधा दिन भ्रमण के लिए

**समय**– नजदीकी ग्राम पंचायत के मिलने के निर्धारित दिन के आधार पर।

## विधि

1. क्षेत्र–भ्रमण से पहले संयोजक को इस विषय पर संक्षेप में विद्यार्थियों को बता देना चाहिए और स्थानीय पंचायत की अवधारणा और कार्यों के बारे में फिर से याद दिलाना चाहिए। विद्यार्थियों को यह सामाजिक अध्ययन विषय में पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है। विद्यार्थियों को यह भी बताना चाहिए कि भ्रमण के दौरान वे कैसा व्यवहार करें। विद्यार्थी अपना पहचान पत्र जरूर साथ ले जाएँ, और उनके साथ एक शिक्षक जरूर जाना चाहिए।
2. भ्रमण के दौरान विद्यार्थी ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की कार्यवाही को ध्यान से देखेंगे। विद्यार्थी ग्राम पंचायत / ग्राम सभा के सदस्यों से संवाद भी करेंगे।
3. विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए–
   (अ) पंचायत का आकार और संरचना (महिला और पुरुष सदस्यों की संख्या, अन्य आरक्षण आदि)
   (ब) ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की भूमिका
   (स) चुनावों की समय–सारणी और वर्तमान पंचायत का कार्यकाल
   (द) पंचायत के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ तथा उनकी शैक्षिक योग्यता
   (य) सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों / कर्मचारियों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ
   (र) वे मुद्दे, जिन पर चर्चा हो रही है
4. विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के रजिस्टर को भी देखना चाहिए।
5. विद्यार्थियों को पंचायत के भ्रमण की रिपोर्ट लिखनी चाहिए या इसके बारे में डायरी में लिखना चाहिए।

## भ्रमण के बाद की चर्चा

1. विद्यार्थियों से अपने पंचायत भ्रमण की यादें ताजा करने को कहा जाएगा। संयोजक कुछ विद्यार्थियों को स्वेच्छा से उस गतिविधि का रोल प्ले करने को कहेंगे।
2. वे स्वयंसेवी, जिन्हें रोल प्ले करना है, दस मिनट आपस में चर्चा करेंगे, और फिर ग्राम पंचायत में देखी गई बातों को रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
3. इसके बाद संयोजक विद्यार्थियों से कॉमिक चित्र बनाने की गतिविधि के माध्यम से अपने अनुभव बताने को कहेंगे।

4. विद्यार्थियों को चार्ट पेपर और बोल्ड मार्कर देकर कहा जाएगा कि जो उन्होंने ग्राम पंचायत में देखा है, उसे एक पेज में कॉमिक चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। कॉमिक चित्र में ग्राम पंचायत में भागीदारी दिखाई जा सकती है, इसका महत्त्व बताया जा सकता है, या कोई और बात दर्शाई जा सकती है, जो विद्यार्थियों ने भ्रमण के दौरान देखी हो। कॉमिक चित्र का प्रारूप संसाधनों में दिया गया है।

5. कॉमिक चित्र बनाने की गतिविधि के बाद, इन विभिन्न कॉमिक चित्रों को नोटिस बोर्ड पर लगाया जा सकता है, ताकि अन्य विद्यार्थी भी उन्हें देख सकें। इन्हें विद्यालय के परिषद्–चुनावों में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए विषय–सामग्री के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।

6. इस प्रक्रिया से विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत की बैठकों के महत्त्व को समझने में मदद मिलेगी– किस प्रकार जन प्रतिनिधि इस मंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सामने लाते हैं।

7. इस चर्चा को राज्य और देश के स्तर तक ले जाएँ, और विद्यार्थियों को बताएँ कि कैसे एक–एक वोट मुखर होकर देश के भविष्य को संवारता है।

8. **3–2–1 के आधार पर** पृष्ठ 9 पर दिए गए तरीके से गतिविधि का सारांश बताएँ और उसे फिर से याद दिलाएँ।

## राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए गतिविधि : नाटक

### रूपरेखा

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को मिल–जुलकर आयोजित की जाने वाली ऐसी गतिविधि में शामिल करना है, जिससे वे चुनावों में मतदान के कुछ पहलुओं के बारे में सीख सकें, साथ ही, अपनी प्रस्तुति के माध्यम से संदेश प्रसारित कर सकें। यह नाटक राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।

### शिक्षण परिणाम (क्या सीखेंगे)

यह चुने हुए विषय पर निर्भर करेगा।

### सम्भावित विषय

i. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार– हर पात्र नागरिक तक मतदान का अधिकार पहुँचाने के लिए भारत का संघर्ष

ii. हर वोट महत्त्वपूर्ण है

iii. मतदान– मेरा अधिकार, मेरा कर्त्तव्य

### संसाधन

I. सेण्टीनल्स ऑफ डेमोक्रेसी (लोकतंत्र के प्रहारी)

ii. बिलीफ इन द बैलट (मतदान में विष्वास)

### आवश्यक सामग्री

i. नाटक की पाण्डुलिपि

### तैयारी

विद्यार्थी ऊपर दिए गए किसी भी विषय पर स्वयं पाण्डुलिपि तैयार करेंगे और इस नाटक की तैयारी करेंगे। वे यह तैयारी या तो चुनावी साक्षरता क्लब की गतिविधियों के लिए दिए गए समय में करेंगे या फिर विद्यालय की समय–सारणी के खाली पीरियड में।

**अवधि**– प्रस्तुति की अवधि 20–30 मिनट।

**समय**– इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर या वार्षिकोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है।

## विधि

1. नाटक में विभिन्न भूमिकाओं के लिए विद्यार्थियों का ऑडीशन किया जाएगा। इसके लिए दिन और समय संयोजक द्वारा तय किया जाएगा।
2. ऑडीशन के आधार पर संयोजक विद्यार्थियों को विभिन्न भूमिकाएँ निभाने को कहेंगे।
3. विद्यार्थी पूरे विद्यालय के सामने नाटक को प्रस्तुत करेंगे।

# 14. गतिविधियों के लिए संसाधन

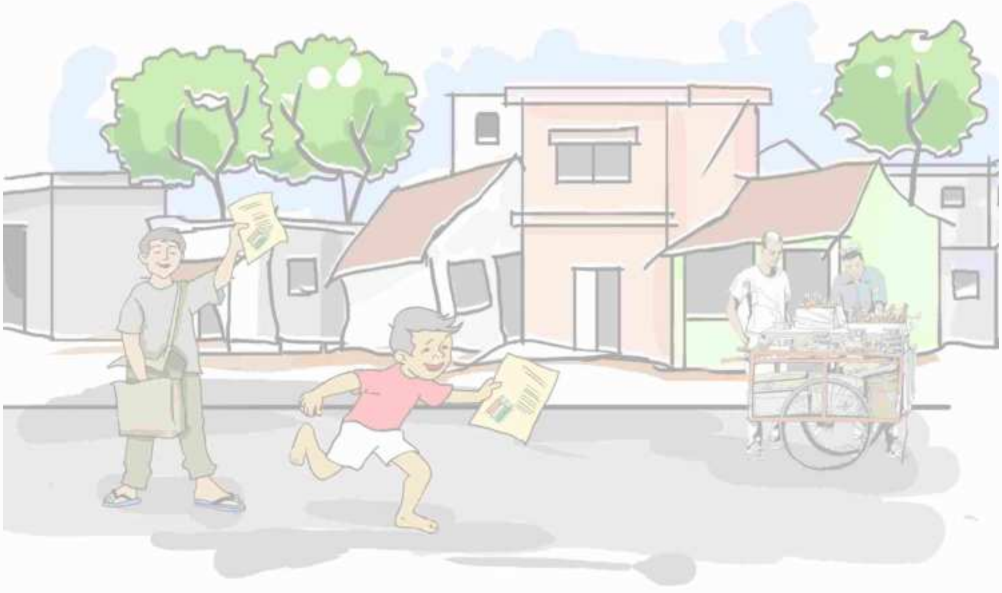

# चुनाव पत्रिका के लिए उदाहरण

## नमूना : 1

**विषय**– लोकतंत्र

- लोकतंत्र : लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार
- लोग चुनावों में मतदान करके अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।

**प्रश्न**– भारत में मतदाता बनने के लिए पात्रता का मानदण्ड क्या है ?

**नोट** – (चुनाव पत्रिका की पूरी विषय-सामग्री निर्वाचन साक्षरता क्लब के कक्षा 9 के सदस्यों द्वारा तैयार व संयोजित की जाएगी। कक्षा 10, 11 व 12 के सदस्य विषय-सामग्री के निर्माण में योगदान करेंगे।)

# चुनाव पत्रिका के लिए उदाहरण

## नमूना : 2

**विषय** – पंजीकृत होना

- पंजीकृत होने या मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता– 18 वर्ष
- पात्रता के लिए महत्त्वपूर्ण तिथि (वह तिथि, जब से पात्रता की आयु की गणना की जाती है) वर्तमान वर्ष की 01 जनवरी है।
- नामांकन के लिए फॉर्म– फॉर्म 6
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डाउनलोड आदि करने के लिए www.nvsp.in

प्रश्न–विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को नामांकन के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है?

**नोट** – (चुनाव पत्रिका की पूरी विषय-सामग्री निर्वाचन साक्षरता क्लब के कक्षा 9 के सदस्यों द्वारा तैयार व संयोजित की जाएगी। कक्षा 10, 11 व 12 के सदस्य विषय-सामग्री के निर्माण में योगदान करेंगे।)

# ग्राम पंचायत का भ्रमण

**संदर्भ** : सन् 1992 में संविधान में 73 वाँ संसोधन किया गया। इसमें भारत के संविधान में भाग IX शामिल किया गया, जिसमें भारत के हर राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया–

- गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत
- जिला-स्तर पर जिला पंचायत
- उप जिला या क्षेत्र-स्तर पर बीच के स्तर की पंचायत। वर्तमान में उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है।

इसमें एक ग्राम पंचायत सामान्य सभा का भी प्रावधान किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत चुनाव-क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यह स्थानीय शासन में गाँववासियों की सीधी भागीदारी के लिए एक फोरम है। यह ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनती है।

पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित रहती हैं। महिलाओं के लिए 33.3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। पंचायत के सभी सदस्यों के लिए राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा सीधा चुनाव कराया जाता है।

ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच/प्रधान होता है, जिसे चुने हुए सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत की पहली बैठक में चुना जाता है। जिला और क्षेत्र-स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। इन्हें चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है।

ग्राम पंचायत की भूमिका और जिम्मेदारियाँ भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। मोटे तौर पर ग्राम पंचायत अपने चुनाव-क्षेत्र के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाएँ बनाती है और उन्हें लागू भी करती है। राज्यों से यह आशा की जाती है कि वे पंचायतों को अधिकारों का हस्तांतरण करें और, पंचायत की इन योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराएँ।

ग्राम पंचायत के कुछ कार्य इस प्रकार हैं—

- कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना।
- सामाजिक न्याय और विकास।
- महिला सशक्तिकरण।
- आर्थिक विकास।
- विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का विकास, जैसे— सड़क, जलमार्ग आदि।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था करना।
- खेती की विधियों में सुधार के लिए काम करना।
- सिंचाई की उन्नत विधियाँ विकसित करना।
- लघु व कुटीर उद्योगों तथा फल प्रसंस्करण की इकाइयाँ विकसित करना।
- गरीबी का उन्मूलन।
- गाँव के बच्चों के लिए प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- असाक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ों को पढ़ाई-लिखाई के लिए प्रोत्साहित करना।
- स्वच्छता, साफ-सफाई आदि में सुधार करना।

ग्राम पंचायत में एक सचिव (ग्राम सेवक) भी होता है, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव ही ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है और वही बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के लिए कई नियम-कानून बनाए गए हैं। ये अलग-अलग राज्यो में अलग-अलग हो सकते हैं।

## ग्राम पंचायत का कालक्रम

1. 1948–49 : संविधान सभा में भारतीय राजनीति में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा हुई।
2. 1950 : 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ। राज्य के नीति–निर्देशक तत्त्वों में ग्राम पंचायतों को 'स्व–शासन की इकाइयाँ' कहा गया। (धारा 40)
3. 1957 : जनवरी में गठित की गई बलवंत राय मेहता समिति ने 24 नवम्बर को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसमें 'लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण' की स्थापना की संस्तुति की गई थी। बाद में यही 'पंचायती राज' कहलाया।
4. 1958–60 : कई राज्य सरकारों ने नए पंचायती राज कानून बनाए, जिनमें त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान रखा गया।
5. 1978 : पश्चिम बंगाल में पंचायतों के दल आधारित चुनाव हुए। इसे पंचायती राज संस्थाओं की दूसरी पीढ़ी का उदय माना गया। पंचायतों के कार्यों के सम्बन्ध में अशोक मेहता समिति बनाई की गई।
6. 1991 : संसद में 73 वाँ (पंचायती राज) और 74 वाँ (नगर पालिका) संशोधन बिल पेश किया गया।
7. 1993 : 24 अप्रैल को संशोधन अधिनियम, 1992 अस्तित्व में आया। 74 वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 भी इसके बाद 01 जून को अस्तित्व में आया।
8. 1993–94 : सभी राज्य सरकारों ने 30 मई, 1993 और 23 अप्रैल, 1994 के बीच संशोधन अधिनियम के अनुरूप कानून बनाए।

## कॉमिक बनाना – ग्राम पंचायत के भ्रमण के बाद

विद्यार्थियों से कहा जाएगा कि नीचे दिए गए चित्रों का संदर्भ लेते हुए वे कॉमिक प्रारूप में अपनी कहानियाँ चित्रित करें।

इसे कदम-दर-कदम इस तरह तैयार किया जाएगा—

1. विद्यार्थियों से कहा जाएगा कि वे अपने विचारों को छोटी कहानी में पिरोएँ। फिर उस कहानी के चार दृश्य सोचें।
2. इसके बाद विद्यार्थी कहानी के पात्र और दृश्य की पृष्ठभूमि चुनें।
3. विद्यार्थी हर उस पात्र के लिए, जो उन्होंने चुना है, संवाद लिखें।
4. वे अपनी नोटबुक में हर दृश्य का एक कच्चा चित्र बना लें।
5. इसके बाद विद्यार्थियों को एक–एक ए–4 साइज का कागज दिया जाएगा, जो चार हिस्सों में बँटा होगा।
6. विद्यार्थियों से कहा जाएगा कि वे कॉमिक प्रारूप में अपनी कहानियों को ढाल लें, जैसा चित्र में दिखाया गया है।

| कॉमिक का शीर्षक | |
|---|---|
| **पहला खाना**<br>इस खाने में अपने कॉमिक के विषय और/या पात्रों का परिचय दें। | **दूसरा खाना**<br>इस खाने में उस समस्या/मुद्दे को चित्रित करें, जिसे आप अपने पात्रों के माध्यम से बताना चाहते हैं। |
| **तीसरा खाना**<br>इस खाने में समस्या का समाधान प्रस्तुत करें। | **चौथा खाना**<br>इस खाने में अपना मुख्य संदेश/पंच लाइन/समापन का संदेश दें। |

# संक्षिप्त नाम और शब्दावली

1. **आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.)**– यह विभिन्न प्रकार के दिशा–निर्देश हैं, जो चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के आचार–व्यवहार से सम्बन्धित हैं। ये दिशा–निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। ये मुख्यतया भाषणों, मतदान दिवस, मतदान केन्द्रों, चुनाव घोषणा पत्रों, जुलूसों और सामान्य आचार–व्यहार के सम्बन्ध में हैं। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा किए जाने के साथ ही लागू हो जाती है। इसका उद्‌देश्य है– स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।

2. **इपिक : इलेक्टर्स फोटो आइडेण्टिटी कार्ड (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र)**– यह कार्ड निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.) द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी निर्वाचकों को जारी किया जाता है। यह पहचान पत्र मतदान के समय उस निर्वाचक की पहचान करने के काम आता है।

3. **ई.आर.ओ. : इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफीसर (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी)**– चुनाव–क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने और उनमें संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से सम्बन्धित राज्य सरकार के किसी अधिकारी को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में मनोनीत/नामित करता है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अपने कार्य–क्षेत्र में आने वाले चुनाव–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत होता है।

4. **ई.वी.एम. : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन**– ई.वी.एम. एक मशीन है, जो चुनाव के दौरान निर्वाचकों द्वारा वोट दिए जाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें दो इकाइयाँ होती हैं– एक नियंत्रण इकाई (कण्ट्रोल यूनिट) और एक मतपत्र इकाई (बैलटिंग यूनिट)। मतदाता को मतपत्र देने के बजाय नियंत्रण इकाई का मतदान अधिकारी मतपत्र बटन दबाएगा। इसके बाद मतदाता मतपत्र इकाई पर अपनी पसन्द के उम्मीदवार और चुनाव चिह्न के सामने लगे नीले बटन को दबाकर अपना वोट दे सकता है।

5. **एन.वी.एस.पी. : नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (www.nvsp.in)**– यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट है, जो नागरिकों और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से सम्बन्धित कुछ ई–सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

6. **एन.वी.डी. : नेशनल वोटर्स डे (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)**– यह दिवस मतदाताओं, विशेष रूप से युवा मतदाताओं, का नामांकन बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दिनांक 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उपयोग मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाने के लिए भी किया जाता है।

7. **डी.ई.ओ. : जिला चुनाव अधिकारी**– भारत चुनाव आयोग सम्बन्धित जिला प्रशासन के मुखिया (कलक्टर, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) को जिला चुनाव अधिकारी के रूप में मनोनीत करता है। ये मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देशन में काम करते हैं। जिला चुनाव अधिकारी जिले या अपने कार्य–क्षेत्र के अन्तर्गत संसद, विधानसभा और निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनमें संशोधन करने के काम की देखरेख करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास मतदान केन्द्र उपलब्ध कराने, मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित कराने और चुनाव के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने का दायित्व होता है।

8. **चुनाव**– निर्णय लेने की एक औपचारिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा लोग अपने जन–प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

9. **चुनाव–क्षेत्र**– वह क्षेत्र, जिसके मतदाता विधानसभा/संसद के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

10. **दिव्यांग**– ऐसे निर्वाचकों का समूह, जो किसी न किसी शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हैं और, इस कारण, उन्हें चुनावों के समय विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है।

11. **निर्वाचक**– एक पंजीकृत व्यक्ति, जो चुनावों में वोट देने के लिए पात्र है।

12. **निर्वाचक नामावली**– निर्वाचक नामावली वह सूची है, जिसमें किसी चुनाव–क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों के नाम दर्ज रहते हैं, जो निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं। सामान्यतया इसे 'मतदाता सूची' कहा जाता है। उपयुक्त प्रबन्ध–व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी चुनाव–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को कई भागों में बाँटा जाता है, जिनमें अलग–अलग मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में आने वाले निर्वाचकों का विवरण दर्ज रहता है।

13. **निर्वाचन प्रक्रिया**– लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन के लिए जो विभिन्न कार्यकलाप मतदाताओं, चुनाव से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों व अन्य सहभागियों द्वारा किए जाते हैं।

14. **निर्वाचन में भागीदारी**– चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं के अन्तर्गत विभिन्न

कार्यकलापों में स्वयं को शामिल करना – एक मतदाता के रूप में, चुनाव के अधिकारी/कर्मचारी के रूप में, उम्मीदवार, राजनीतिक दल के रूप में या लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार में किसी अन्य सहभागी के रूप में।

15. **नोटा (NOTA) : इनमें से कोई नहीं–** यह विकल्प अक्टूबर 2013 से अपनाया जाने लगा है। सभी ई.वी.एम. और मतपत्रों पर यह विकल्प होता है। यह विकल्प उन मतदाताओं के लिए है, जो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते, पर अपने निर्णय को गुप्त रखते हुए मताधिकार का प्रयोग भी करना चाहते हैं।

16. **पंचायत–** भारत में पंचायती राज, शासन–व्यवस्था की एक पद्धति है, जिसमें ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की प्राथमिक इकाई होती है। इस पद्धति के तीन स्तर हैं– ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), मण्डल परिषद् या क्षेत्र पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), तथा जिला पंचायत (जिला स्तर)।

17. **बी.एल.ओ : बूथ लेवल ऑफीसर–** एक स्थानीय सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, जो स्थानीय मतदाताओं से परिचित होते हैं, और सामान्यतः उसी मतदान क्षेत्र के मतदाता होते हैं। वे अपनी स्थानीय जानकारी का प्रयोग करके मतदाता सूची को अद्यतन बनाने में सहायक होते हैं। वे चुनाव पंजीकरण अधिकारी की देखरेख में काम करते हैं, और, जो मतदान क्षेत्र उन्हें दिया गया है, उस क्षेत्र में सत्यापन करने, मतदाताओं से सम्बन्धित सूचनाएँ/आँकड़े एकत्र करने और मतदाता सूची या उसका एक हिस्सा तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है।

18. **मताधिकार–** राजनीतिक चुनावों में वोट देने का अधिकार।

19. **मतदान पंजीकरण–** वह कार्य व प्रक्रिया (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा से निर्धारित), जिसमें किसी पात्र व्यक्ति का नामांकन करके उसे मान्यता प्राप्त मतदाता बनाया जाता है।

20. **वीवीपीएटी.: वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल –** वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनका मत उनके इच्छा के अनुरूप पड़ा है। जब कोई मत डाला जाता है, तो अभ्यर्थी के नाम, क्रम संख्या और प्रतीक वाली एक पर्ची मुद्रित होती है और 7 सेकेण्ड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से दिखाई देती है। उसके बाद, यह मुद्रित पर्ची स्वचालित रूप से कट जाती है और वीवीपीएटी (वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।

21. **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार**— मतदान का अधिकार सभी वयस्क नागरिकों को दिया गया है। इसमें जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता।

22. **सी.ई.ओ. : मुख्य चुनाव अधिकारी**— ये चुनावों का प्रबन्धन करने, दिशा—निर्देशन देने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए भारत चुनाव आयोग द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी होते हैं। ये राज्य में मतदाता सूची की तैयारी, उसके पुनरीक्षण और उसमें संशोधन करने के काम की देखरेख भी करते हैं।

# संयोजक की टिप्पणी



*हर वोट महत्वपूर्ण है*

# संयोजक की टिप्पणी

# संयोजक की टिप्पणी



*हर वोट महत्वपूर्ण है*

# संयोजक की टिप्पणी

# संयोजक की टिप्पणी

## संयोजक की टिप्पणी

# संयोजक की टिप्पणी

## संयोजक की टिप्पणी

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

# भारत निर्वाचन आयोग

eci.gov.in / nvsp.in / ecisveep.nic.in

@ECI @ecisveep @ECIsveep